भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2543 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस)

2543. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चिह्नित किए गए 202 संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले पांच वर्षों में देश में स्थापित की जाने वाली एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आगामी वर्षों में रेलवे की सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 199 स्टेशनों पर क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न निगरानी प्रणाली, पहुंच नियंत्रण, यात्री एवं सामान की स्क्रीनिंग प्रणाली और बम डिटेक्शन सिस्टम की एकीकृत सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराए जाने की योजना तैयार की गई है। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के तहत 196 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के तहत 271 बैगेज स्कैनर, 76 अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम और 129 बम का पता लगाने वाले उपकरण भी मुहैया कराए गए हैं,

विस्फोटकों का पता लगाने और ट्रैकिंग के प्रयोजन के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 416 खोजी कुत्ते भी तैनात किए गए हैं।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून-व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों पर अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण और अन्वेषण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसका निर्वाहन अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/जिला पुलिस के माध्यम से करती है। बहरहाल, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने और इसके अतिरिक्त संबंधित मामलों हेतु रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

इसके अलावा, स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा हेतु जीआरपी के समन्वय से रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. तत्काल सहायता के लिए, यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
2. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए महिलाओं सहित अन्य यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं।
3. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के विरुद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती हैं।
4. यात्रियों की बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाती है।
5. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।

*****